चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): सर, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

SHRI JOSE K. MANI (Kerala): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

Need to relieve school teachers of election related duties

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, बेसिक शिक्षा सम्पूर्ण विकास की आधारशिला होती है, परन्तु देश के अधिकांश भागों में बेसिक शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय है। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कोई अपने बच्चों को पढ़ाना उचित नहीं समझता है। यह कठोर सत्य है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अत्यंत गरीब परिवारों के बच्चे ही पढ़ते हैं। मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। * सरकार आने से पूर्व बीसियों साल से...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप किसी पार्टी का नाम नहीं लीजिए, चाहे पॉज़िटिव हो या नेगेटिव।

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है, मैंने तो कहा है कि बीसियों साल से...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप अपने विषय पर आइए, प्लीज़।

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। * सरकार आने से पूर्व बीसियों साल से उत्तर प्रदेश में शिक्षा की...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: हरनाथ जी, मैंने कहा कि पार्टी का नाम नहीं आएगा। If you are not going to care for the Chair's direction, then I am going to the next one. What is this? चेयर से जो मैं कहूंगा, उसी का पालन करना पड़ेगा।

SHRI HARNATH SINGH YADAV: Sorry, Sir. अमान्यवर, बीसियों साल से उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय थी और पठन-पाठन का वातावरण लगभग समाप्त हो गया था। अध्यापकों का बड़ा वर्ग विद्यालय जाता ही नहीं था और सरकारी तंत्र से सांठ-गांठ करके विद्यालय न जाकर अपना निजी व्यापार आदि करते हुए नियमित रूप से वेतन पाता था। मान्यवर, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि एक अध्यापिका ऐसी थीं, जो दो वर्षों तक अपने पति के साथ विदेश में रहीं, फिर भी नियमित रूप से वेतन प्राप्त करती रहीं।

महोदय, उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार के आने के बाद बेसिक शिक्षा के हालात बदले हैं और पठन-पाठन के माहौल में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ रहा है। इसके लिए मैं वहां के माननीय मुख्य मंत्री, श्री योगी जी का अभिनन्दन करता हूं।...**(व्यवधान)**...

---

*Expunged as ordered by the Chair.

MR. CHAIRMAN: आपने जिस विषय का नोटिस दिया है, वह है, 'Demand to relieve school teachers of election-related duties'. आपका विषय है कि इलेक्शन ड्यूटी में टीचर्स को नहीं लगाया जाए। मैंने सोचा था कि यह विषय गंभीर है, लेकिन आप इधर-उधर...**(व्यवधान)**..

श्री हरनाथ सिंह यादव: मान्यवर, मैं आपके और सदन के माध्यम से केन्द्र और उत्तर प्रदेश की सरकार का ध्यान एक समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा मत है कि बेसिक शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों से मुक्त रखना चाहिए, क्योंकि अन्य कार्यों में लगाने से शिक्षकों की शिक्षण कार्य के प्रति एकाग्रता भंग होती है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि शिक्षकों को जनगणना, पोलियो तथा निर्वाचन कार्यों के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में नहीं लगाना चाहिए। निर्वाचन कार्य का अर्थ केवल मतदान करवाने तक सीमित होना चाहिए, परन्तु जमीनी हकीकत यह है कि बेसिक शिक्षक वर्ष भर लोक सभा, विधान सभा तथा स्थानीय निकाय की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य में लगे रहते हैं, जिसके कारण से पठन-पाठन का कार्य बुरे तरीके से प्रभावित होता है और उसके दुष्परिणाम गरीब परिवारों के बच्चों को भुगतने पड़ते हैं। अत: मैं आपके माध्यम से बेसिक शिक्षकों को निर्वाचक नामवलियों के पुनरीक्षण और शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यों से तत्काल मुक्त करने की सरकार से मांग करता हूं, धन्यवाद।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

Encroachment of tribal forest land in various States

SHRI P. BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, I am glad that you have given me the opportunity to say a few words. Hon. Members have already explained all these things. But I would like to add some other points to it in regard to the rights of the Scheduled Tribes to protect their land. Sir, as you know, the Parliament has enacted the Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 and notified it for its operation on 31.12.2007. The rules made thereunder for implementing various provisions of this Act were also notified on 1.1.2008.

Sir, I would like to mention that the Supreme Court also came out heavily to protect the rights of the Scheduled Tribes. In a recent judgment dated 13.2.2019 passed in Writ Petition No.109 of 2008 in the matter of Wildlife First and Ors. *vs.* Ministry of Environment, Forest and Climate Change and Ors., the Supreme Court has clearly directed the State and UT Governments to evict the persons or parties, whose claims under Forest Rights Act, 2006 were rejected. Subsequently, the Government of India